मई, 2022

Digital News Letter

पुनर्नवा

..bouncing back to life again and again....

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिरकण

आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार

बिहार सरकार

लू/गर्म हवाओं से बचाव

हमारे राज्य में गर्मी के महीनों में गर्म हवाएं एवं लू चलती हैं। इसका प्रतिकूल प्रभाव हमारे शरीर पर भी पड़ता है, यह जानलेवा भी साबित हो सकता है। इस संबंध में नीचे दिये गये उपायों से लू/गर्म हवाओं के बुरे प्रभाव से बचा जा सकता है।

गर्म हवाएं / लू से सुरक्षा के उपायः-

स्थानीय मौसम के पूर्वानुमान और आगामी तापमान में परिवर्तन के बारे में विभिन्न विश्वसनीय माध्यम से लगातार जानकारियां लेते रहें।

बार–बार पानी पीएं। सफर में अपने साथ पीने का पानी अवश्य रखें। धूप में जाने वक्त यथा संभव हल्के रंग के ढीले–ढाले एवं सूती कपड़े पहनें। गमछा या टोपी से अपने सिर को ढकें।

हल्का भोजन करें, मौसमी फल जैसे तरबूज, खीरा, ककड़ी, खरबूज, संतरा आदि का अधिकाधिक सेवन करें।

घर में बने पेय पदार्थ जैसे लस्सी, नमक–चीनी का घोल, छाछ, नींबू–पानी, आम का पन्ना आदि का नियमित सेवन करें।

जानवरों को छांव में रखें एवं उन्हें भी पर्याप्त पानी पीने को दें।

अगर तबीयत ठीक न लगे या चक्कर आये तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।

लू लगने पर क्या करें?

लू लगे व्यक्ति को छांव में लिटा दें। अगर उनके शरीर पर तंग कपड़े हों तो उसे ढीला कर दें अथवा हटा दें।

लू लगे व्यक्ति का शरीर गीले कपड़े से पोछें या ठंडे पानी से नहलाएं एवं बार–बार गीले कपड़े से शरीर को पोछें।

संबंधित व्यक्ति को ओआरएस, नींबू–पानी, नमक–चीनी का घोल, छाछ या शर्बत पीने को दें, यह शरीर में जल की मात्रा को बढ़ाता है।

लू लगे व्यक्ति को शीघ्र नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाएं।

लू लगने पर क्या न करें ?

कडी धूप में बाहर न निकलें। अधिक तापमान में क्षमता से ज्यादा शारीरिक श्रम न करें।

प्रोटीन युक्त भोजन जैसे मांस, अंडा व सूखे मेवे जो शारीरिक ताप को बढ़ाते हैं का सेवन कम करें।

लू के कारण पानी की उल्टियां करे या बेहोश हो जाए तो उसे कुछ भी खाने–पीने को न दें।

बच्चे एवं पालतू जानवरों को बंद वाहनों में न छोड़ें।

दोपहर के समय मवेशियों को चराने के लिए बाहर निकलने से बचें।

विषय सूची

क्र. सं.	विषय		पेज
1	संपादकीय		04
2	डूबने से होने वाले मृत्यु की रोकथाम विषय पर कार्यशाला का आयोजन		05
3	गंगा: अतीत से वर्तमान तक	पंकज मालवीय	06
4	इनसे मिलिये कार्यक्रम	कुलभूषण	11
5	जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम		12
6	सुरक्षित तैराकी कार्यक्रम: मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण		13
7	सुरक्षित तैराकी कार्यक्रम: तैराकी एवं जीवन रक्षा कौशल का प्रशिक्षण		14
8	डूबने से होने वाली मृत्यु की रोकथाम एवं जागरूकता सप्ताह का आयोजन		15
9	सामुदायिक स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण		16
10	वज्रपात से बचाव संबंधी कार्ययोजना के लिए बैठक		17
11	पंचायत संसाधन केन्द्र के पदाधिकारियों का मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण		17
12	बांका जिले के DDMP पर विमर्श के लिए पदाधिकारियों की बैठक		18
13	अभियंताओं और राजमिस्त्रियों का प्रशिक्षण		18
14	बाढ़ सुरक्षा सप्ताह की तैयारी के लिए बैठक		20
15	अस्पताल अग्नि सुरक्षा कार्यक्रम		21
16	खबरें तस्वीरों में		22-27

आपदा नहीं हो भारी,

यदि पूरी हो तैयारी

विकास ऐसा हो जो आफत से बचाए,
ऐसा न हो जो कि आफत बल जाए।

संरक्षक मंडल

डॉ. उदय कान्त मिश्र, भा. अभि. से. (से.नि.)
उपाध्यक्ष, बि.रा.आ. प्र..प्राधिकरण

पी. एन. राय, भा. पु.से.(से.नि.)
सदस्य, बि.रा.आ. प्र..प्राधिकरण

मनीष कुमार वर्मा भा.प्र.से. (से.नि.)
सदस्य, बि.रा.आ. प्र..प्राधिकरण

मीनेन्द्र कुमार, बि.प्र.से.
सचिव, बि.रा.आ. प्र..प्राधिकरण

मुख्य संपादक: शशि भूषण तिवारी
उपाध्यक्ष के विशेष कार्य पदाधिकारी

वरीय संपादक: कुलभूषण कुमार गोपाल

संपादक मंडल

नीरज कुमार सिंह, सीनियर कंसल्टेंट
दिलीप कुमार, वरीय सलाहकार (मानव संसाधन एवं क्षमतावर्द्धन)
डॉ. जीवन कुमार, परियोजना पदाधिकरी
अशोक कुमार शर्मा, परियोजना पदाधिकारी
प्रवीण कुमार, परियोजना पदाधिकारी
जयंत रौशन, परियोजना पदाधिकारी
आई.टी: सुश्री सुम्बुल अफरोज
मनोज कुमार
ई-मेल: sr.editor@bsdma.org
वेबसाईट: www.bsdma.org
सोशल मीडिया : www.facebook.com/bsdma

नोट: पुनर्नवा में प्रकाशित आलेख लेखकों के व्यक्तिगत एवं अध्ययन स्वरूप विचार हैं। लेखन द्वारा व्यक्त विचारों के लिए बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण उत्तरदायी नहीं है।

आपदा नहीं हो भारी,
यदि पूरी हो तैयारी।

संपादकीय

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा राज्य में हो रहे सड़क हादसों की रोकथाम के उद्देश्य से मई माह में कई कार्यक्रम किये गये। इसका उद्देश्य इस मानवजनिक आपदा से होने वाली व्यापक क्षति को कम करना है। इसके लिए नियमित रूप से जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है। इस जागरूकता कार्यक्रम में संपूर्ण समुदाय को भी शामिल होना चाहिए। अन्यथा ऐसी घटनाएं रूकने वाली नहीं है। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने मई, 2022 में जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा कार्यक्रम के साथ–साथ सड़क सुरक्षा के लिए एसओपी बनाने हेतु प्रारूपण समिति की बैठक का आयोजन किया ताकि इस मुद्दे को आमलोगों का मुद्दा बनाया जा सके। चूंकि यह समस्या गंभीर होती जा रही है, इसलिए इसमे कमी लाने के लिए एसओपी का होना आवश्यक है। इसके लिए प्रारूपण समिति की बैठक में एसओपी के विभिन्न अध्यायों का निर्धारण और 13 सदस्यीय सड़क सुरक्षा समिति का गठन किया गया है। यह समिति सड़क सुरक्षा के लिए प्रस्ताव तैयार कर सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली क्षति को कम से कम करने के लिए सभी संभव उपाय करेगी। सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए प्राधिकरण के स्तर पर जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। ये आयोजन पटना जिले के बिहटा, शेखपुरा और कंकड़बाग में हुए। इस तरह के जागरूकता कार्यक्रमों में अब तक राज्य के 12 जिलों के 54 स्कूल/कॉलेजों के 5210 स्कूली छात्र–छात्राओं और शिक्षकों को जागरूक किया जा चुका है। आने वाले दिनों में यह जागरूकता कार्यक्रम सड़क दुर्घटनाओं में व्यापक कमी लायेगी। आवश्यकता है जागरूकता कार्यक्रम समाज के सभी हिस्सों में नियमित रूप से जारी रहे ताकि इस मानवजनित आपदा से होने वाली क्षति को कम से कम करने में सफलता मिले।

शशि भूषण तिवारी
(मुख्य संपादक)

डूबने से होने वाली मृत्यु की रोकथाम विषय पर कार्यशाला

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा दिनांक 06.05.2022 को डूबने से होने वाली मृत्यु की रोकथाम विषय पर कार्यशाला का आयोजन ज्ञान भवन, पटना में संपन्न हुआ। आयोजन की अध्यक्षता प्राधिकरण के माननीय सदस्य श्री पी0 एन0 राय ने की। बैठक में आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव, श्री संजय कुमार अग्रवाल एवं विशेष सचिव, एन. रामचन्द्रडूडू मौजूद थे। कार्यशाला में डूबने से होने वाली मृत्यु से अति प्रभावित 18 जिलों के अपर समाहर्त्ता/प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन, अंचल अधिकारी, मुखिया, NDRF, SDRF, NINI और गैर सरकारी संस्थाओं के लगभग 110 पदाधिकारियों /प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

इस कार्यशाला में राज्य में विगत 04 वर्षों में डूबने से हुई मृत्यु से संबंधित अध्ययन रिपोर्ट पर विमर्श किया गया। डूबने से होने वाली मौतों की रोकथाम के लिए निम्नलिखित गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु राज्य के सभी जिला पदाधिकारियों से अनुरोध किया गया। कार्यशाला में निम्न निर्णय लिये गये:–

1. प्राधिकरण ने अध्ययन रिपोर्ट में अति प्रभावित अंचलों को चिह्नित किया है। ऐसे चिह्नित प्रखण्डों के पंचायतों को जिलों के द्वारा चिह्नित करने का निर्णय लिया गया। जहां ऐसी अधिक घटनाएं होती हैं वहां रोकथाम एवं न्यूनीकरण के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन निम्नलिखित माध्यम से किया जाएगा :–
(क) एन0डी0आर0एफ0, एस0डी0आर0एफ0 के सहयोग से चिह्नित अति दुर्घटना प्रवण पंचायतों में समुदाय के युवकों को खोज, बचाव एवं प्राथमिक उपचार विषय पर कैलेंडर बनाकर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाएं।

(ख) **"डूबने से होने वाली मौतों की रोकथाम, जोखिम न्यूनीकरण एवं पूर्व तैयारी हेतु** प्राधिकरण स्तर बनाई गयी **कार्ययोजना"** का क्रियान्वयन अति प्रभावित प्रखण्डों एवं पंचायतों में किया जाए।

(ग) प्राधिकरण स्तर पर चलाए जा रहे **"सुरक्षित तैराकी कार्यक्रम"** के अंतर्गत जिन जिलों में मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण कराया जा चुका है वैसे जिले अपने स्तर पर इनका उपयोग बालक/बालिकाओं को प्रशिक्षण देने के साथ–साथ जन–जागरूकता एवं प्रचार–प्रसार में किया जाए।
(घ) जिन जिलों में प्राधिकरण स्तर से कम्युनिटी वोलेंटियर का प्रशिक्षण कराया गया है, वैसे जिलों में इन प्रशिक्षित वॉलेंटियर का उपयोग डूबने से बचाव के लिए जागरूकता एवं प्रचार–प्रसार में किया जा सकता है।

(च) अंचल अधिकारियों एवं एन0डी0आर0एफ0, एस0डी0आर0एफ0 के सहयोग से स्थानीय गोताखोरों का रिफ्रेशर प्रशिक्षण कराया जाए।

(छ) डूबने की घटनाओं के संबंध में प्राधिकरण द्वारा हुए विश्लेषणात्मक अध्ययन में यह पाया गया कि डूबने से होने वाली मृत्यु में दो तिहाई संख्या 20 वर्ष आयु वर्ग से कम के बच्चों, युवक/युवतियों की है। इसलिए आंगनवाड़ी, विद्यालय एवं समुदाय के स्तर पर सालोंभर जन–जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए।

(ज) पंचायत स्तर के कार्यकर्ताओं जैसे आशा और टोला सेवकों के माध्यम से डूबने की घटनाओं के संबंध में प्रचार–प्रसार किया जाए।

2. डूबने की घटनाओं की रोकथाम के लिए जिले एवं प्रखण्ड स्तर पर होने वाली अन्य गतिविधियां निम्नलिखित हैं :–

(क) जिन पंचायतों में डूबने की घटनाएं अधिक होती हों उन्हे रेड स्पॉट्स के रूप में चिह्नित किया जाए।

(ख) जिन परिवारों में डूबने की घटनाएं हुई हैं, उनका सहयोग समुदाय स्तर पर जन–जागरूकता बढ़ाने में लिया जा सकता है।

(ग) आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा निदेश दिया गया है कि डूबने की घटनाओं के रोकथाम के उपायों के बारे में जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला, अंचल एवं पंचायत स्तर पर उक्त विषय पर बैठकों का आयोजन हो एवं निदान के उपायों पर चर्चा की जाए।

(घ) सभी पंचायत प्रतिनिधियों से अपील की गई कि जिन इलाकों में बालू के खनन या अन्य कारणों से गड्ढे बन गए हैं उन्हें चिह्नित कर लाल झंडा लगाया जाए।

(च) पंचायत स्तर पर भी डूबने की घटनाओं के बारे में डाटा का संग्रहण किया जाए।

(छ) जलाशयों के किनारे आयोजित पारंपरिक त्योहारों के दौरान खतरों की पहचान एवं सतर्कता बरतने हेतु समुदाय के बीच चौपाल के माध्यम से जन–जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाये।

(ज) जो बच्चे घर से बाहर शौच करने या पशु चराने के लिए जाते हैं, वैसे बच्चें के अभिभावकों के माध्यम से खतरनाक जलश्रोतों से दूर रहने हेतु बार–बार सचेत करने की जानकारी विद्यालयों, आंगनबाड़ी केन्द्रों, मंदिरों, मस्जिदों आदि से प्रचार–प्रसार किया जाए।

(झ) नहरों के आस–पास डूबने की घटनाएं न हो इसके लिए प्रशिक्षित गोताखोरों को संवेदनशील स्थलों पर प्रतिनियुक्त किया जाए।

(ट) विभिन्न जिलों के अपर समाहर्त्ता/प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन एवं अंचलाधिकारियों को आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा निदेश दिया गया कि वे स्थानीय जोखिम एवं खतरों की पहचान करें एवं डूबने से होने वाली मृत्यु की रोकथाम हेतु योजना बनाएं। इसके क्रियान्वयन हेतु अपेक्षित सहयोग आपदा प्रबंधन विभाग से प्राप्त कर सकते हैं। प्राधिकरण के स्तर पर वर्ष, 2022 से मई माह के अंतिम सप्ताह में 23–29 मई, 2022" तक डूबने से होने वाली मृत्यु की रोकथाम हेतु जन–जागरूकता सप्ताह आयोजित करने का निर्णय लिया गया।

गंगाः अतीत से वर्तमान तक

पंकज मालवीय, जल एवं पर्यावरण विशेषज्ञ

गंगा के पृथ्वी पर अवतरण के सम्बंध में ब्रह्मवैवर्त पुराण में एक बहुत ही रोचक संदर्भ आता है। इसके अनुसार भगवान विष्णु की लक्ष्मी, गंगा और सरस्वती तीन पत्नियां थीं जो प्रेमपूर्वक समान भाव से उनके निकट रहती थीं। एक बार गंगा विष्णु को देखती हुई बार–बार उन पर कटाक्ष कर रही थी और विष्णु भी उनके संकेतों का प्रसन्न मुद्रा में उत्तर दे रहे थे। सरस्वती से यह सब सहन नहीं हुआ और लक्ष्मी के समझाने के बाद भी उनका क्रोध कम नहीं हुआ। उन्होंने विष्णु को उलाहना दिया जो स्त्री अपने पति के प्रेम से वंचित है उसका जीवन व्यर्थ है। अपने शरीर त्याग की धमकी देकर सरस्वती ने यह भी कहा कि उसके निर्दोष होने पर भी उसका वध करने का आप पर आरोप आएगा और जो पुरुष अपनी निर्दोष स्त्री का वध करता है उसे एक कल्प तक नरकवास करना पड़ता है चाहे वह सर्वेश्वर विष्णु ही क्यों न हो। सरस्वती के इस तरह के कठोर वचन वचनों को सुन कर विष्णु ने कुछ विचार किया और वहां से उठ कर चले गए।

विष्णु के सभा से चले जाने के बाद वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती ने गंगा को बहुत बुरा भला कहा और उनके बालों को खींचना चाहा। लक्ष्मी के बीच बचाव से ऐसा नहीं हो पाया। इस पर सरस्वती और भी कुपित हो गईं और लक्ष्मी को शाप दिया कि गंगा का विपरीत आचरण देख कर भी वह सभा के बीच वृक्ष और नदी की तरह बिना कुछ बोले खड़ी रही अतः तू नदी और वृक्ष का रूप धारण करेंगी इसमें संशय नहीं है। लक्ष्मी फिर भी शांत रहीं और स्थिर होकर खड़ी रहीं और सरस्वती का प्रतिवाद नहीं किया। लक्ष्मी को सांत्वना देते हुए तब गंगा ने उनसे कहा कि सरस्वती वाणी की अधिष्ठात्री होते हुए भी अत्यंत झगड़ालू हैं। महाकोप करने वाली उस देवी की बातों पर ध्यान मत दो। इतना कह कर गंगा ने सरस्वती को शाप दिया कि जिसने रोष भरे शब्दों में लक्ष्मी को शाप दिया है वह स्वयं भी नदी रूप में हो जाए और नीचे मृत्यु लोक, जहां पापियों का समूह निवास करता है, जाकर वहां रहे तथा कलयुग में उनके पापांशों को भी प्राप्त करे, इसमें संशय नहीं है। यह सुन कर सरस्वती ने गंगा को भी शाप किया कि तू ही पृथ्वी पर जाएगी और पापियों के पाप को प्राप्त करेगी। इस तरह से तीनों देवियां पारस्परिक कलह के कारण शापग्रस्त हो गई।

कूछ समय बाद विष्णु पुनः सभाकक्ष में लौट आए और अपनी पत्नियों के कलह का रहस्य सुनकर अपनी दुखी स्त्रियों को संबोधित करते हुए कहा कि लक्ष्मी पृथ्वी पर जाकर राजा धर्मध्वज की कन्या तुलसी बनेंगी। यहां विष्णु के ही अंश शंखचूड़ से उनका विवाह होगा। तुलसी वहां वृक्ष का भी रूप धारण करेंगी और वह पद्मावती (यह नारायणी अथवा गंडक नदी का दूसरा नाम है) नदी के रूप में प्रवाहित होंगी।

उन्होंने गंगा से कहा कि भारती के शापवश तुम्हें भी पृथ्वी पर जाना पड़ेगा जहां तुम विश्वपावनी भागीरथी नदी बन कर रहोगी। पृथ्वी पर गंगा विष्णु के आदेश से राजा शांतनु की पत्नी होंगी और

शिवजी से उनका सदा संपर्क बना रहेगा। सरस्वती को भी विष्णु ने भारतवर्ष में नदी बनने का आदेश दिया और शाप की समाप्ति पर ब्रह्मा के यहां जाकर रहने को कहा।

विष्णु के वचनों को सुनकर तीनों देवियां बहुत व्यथित हुईं। सरस्वती का कहना था कि उत्तम स्वभाव वाले पति द्वारा त्यागी हुई स्त्रियां कहां जीवित रहती हैं? मैं भारत में योग द्वारा निश्चित रूप से शरीर त्याग दूंगी। गंगा ने भी विष्णु से अपना अपराध पूछा और शरीर त्याग देने का प्रस्ताव किया। लक्ष्मी ने उत्तम स्वभाव वाले विष्णु से क्षमादान के लिए प्रार्थना की और पूछा कि भारत में पापी लोग मुझमें स्नान करके मुझे अपना पाप दे जाएंगे तब फिर किसके द्वारा पाप से मुक्त होकर मैं यहां आपके स्थान पर वापस आ सकूंगी? वृक्ष रूप से मेरा उद्धार कब होगा? गंगा जब भारत में जाएगी तो वह शाप से कब मुक्त होगी और इसी प्रकार सरस्वती कब शाप से मुक्त होकर आपके पास आएगी? सरस्वती को ब्रह्मा के पास और गंगा को शंकर के पास मत भेजिए। सबको क्षमादान दे दीजिए।

विष्णु ने लक्ष्मी से कहा कि वह तीनों को समानता प्रदान करेंगे। सरस्वती कला मात्र से नदी बनकर भारत चली जाए और ध्यान से से ब्रह्मा के घर जाएं और पूर्णेश से मेरे पास रहें। इसी तरह गंगा भगीरथ के सतप्रयत्न से अपने कलांश से त्रिलोकों को पवित्र करने के लिए भारत जाएं और अपने पूर्णांश से मेरे पास रहें, वहां उन्हें भगवान शंकर का दुर्लभ मस्तक भी प्राप्त होगा और वह पहले से भी ज्यादा पवित्र हो जाएंगी। तुम स्वयं भारत में पद्मावती नाम की नदी और मां तुलसी नामक वृक्ष होकर रहो। कलयुग में पांच सहस्त्र वर्ष व्यतीत होने पर तुम लोग नदी भाव से मुक्त हो जाओगी और फिर मेरे पास यहां लौट आओगी। देहधारियों को संपत्ति की प्राप्ति में विपत्ति कारण होती है क्योंकि संसार में बिना विपत्ति का सामना किए किसी को भी गौरव नहीं होता। मेरे मंत्रों की उपासना करने वाले सज्जनों के स्नान करने से तुम पापियों के स्पर्शजन्य पापांश से छुटकारा पा जाओगी।

आईये, अब वापस अपने धरातल पर लौटें। कलयुग के पांच सहस्त्र वर्ष तो पूरे हो चुके हैं और सरस्वती विष्णु के पास वापस जा चुकी है। गंगा का समय भी पूरा हो चुका है, वह विष्णु के पास जाना चाहती है या नहीं पर पृथ्वी वासियों ने अपनी तरफ से उनके जाने का प्रबंध पूरा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी है। पापियों द्वारा फैलाया गया प्रदूषण, बेतरह बांधों के निर्माण और धारा के प्रवाह को पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से मोड़ कर सदानीरा नदियों को मौसमी बनाने का कुचक्र जारी है। काशी में बहने वाली गंगा में गंगा का शायद ही कोई अंश बचा हो। ऐसा विश्वास किया जाता है कि वहां बहने वाली नदी का पानी यमुना का है। गंगा के पानी को तो कबका सोख लिया गया है। यह क्रम जारी रहा तो बिहार में प्रवेश के समय बची–खुची गंगा महज एक नाला बन कर रह जाएगी।

परोपकार के उदाहरण के रूप में कभी नदियों के प्रवाह की मिसाल दी जाती थी और जब परोपकार शब्द ही अपना अर्थ खो चुका हो तो प्रवाह की चिंता किसे होगी? हमारे पास बहुत कम समय बचा है जो हम अपनी प्रकृति के मूल तत्वों, जंगल, नदियों और पहाड़ों की रक्षा कर सकें। नदियों को हमारी परंपरा ने माता का स्थान दिया है। माता, माता होती है। वह कभी संसाधन नहीं होती। संसाधनों का दोहन होता है, माता का नहीं। इस परिभाषा के अंतर को समझना होगा। इस दिशा में जितना शीघ्र कदम उठाया जाए उतना ही उत्तम होगा।

गंगा की अविरलता की राह में सबसे बड़ी बाधा फरक्का एक ऐसा विषय है जिसे राष्ट्रीय विषय होना चाहिए था, लेकिन नमामि गंगे की शोर मे यह खो गया है। गंगा से जुड़ा हुआ एक अहम सवाल है फरक्का। गंगा पर इस बन्धन के कारण ऊपरी हिस्से में गंगा के इलाके की कहानी कैसे बदलने वाली है, उसे बिहार के चौसा (बक्सर) से फरक्का बांध तक की यात्रा करके समझा और जाना जा सकता है। झारखंड के राजमहल, साहेबगंज से लेकर बिहार के और भी कई हिस्सों में, जहां गंगा में गाद के ढेर की वजह से टापुओं का निर्माण शुरू हो चुका है। इसे देखा जाए तो सब साफ–साफ समझ में आ जाएगा, इससे जलजमाव के इलाके बढ़ रहे हैं। भागलपुर स्मार्ट सिटी बनने वाला है, लेकिन गंगा की विरासत उससे दूर होने वाली है। दरअसल फरक्का बैराज की वजह से बालू और मिट्टी रुकने के बाद गंगा में टीले और टापू बनने का सिलसिला झारखंड के राजमहल, साहबगंज और बिहार के कहलगांव, भागलपुर से लेकर पटना व चौसा (बक्सर) तक गंगा की राह से पहुंच चुका है। हालांकि विशेषज्ञ इस प्रभाव को इलाहाबाद तक बताते हैं।

फरक्का पहुंचने के बाद बैराज के समीप गंगा कई धाराओं में बंटी हुई नजर आती है और इसके पहले वहां बड़े–बड़े टापू दिखते हैं, जो पिछले कुछ वर्षों में बने हैं। सुरक्षा कारणों से या यूँ कहें कि वास्तविकता को छुपाने के लिए फोटो लेने की इजाजत नहीं है, लेकिन इतना तो समझ में आ ही जाता है कि गंगा के बीच में ये टापू कैसे बने और इनकी वजह से बाढ़ के दिनों में गंगा आसपास के इलाके का कटाव कैसे कर चुकी है। फरक्का के कारण गांव के गांव साफ हो चुके हैं। मालदा का पंचाननपुर जैसा विशाल गांव तो इसका एक उदाहरण रहा है, जिसका अस्तित्व ही खत्म हो गया। फरक्का बैराज से लगभग छह किलोमीटर दूरी पर बसा गांव सिमलतल्ला भी गंगा में समा गया, कभी यह हजार घरों वाला आबाद गांव हुआ करता था। बांग्लादेश सीमा के नजदीक पश्चिम बंगाल में 1975 में जब फरक्का बैराज बना था तो मार्च के महीने में भी वहां 72 फुट तक पानी रहता था, अब बालू–मिट्टी से नदी के भरते जाने की वजह से नदी की गहराई 12–13 फुट तक रह गई है। बैराज के कारण पांच लाख से अधिक लोग अब तक अपनी जमीन से उखड़ चुके हैं और बंगाल के मालदा और मुर्शिदाबाद जिलों की 600 वर्ग किलोमीटर से अधिक उपजाऊ जमीन गंगा में विलीन हो चुकी है। फरक्का के पास गंगा 27 किलोमीटर तक रेतीले मैदान बना चुकी है। हालात ऐसे हैं कि गंगा की विरासत पर गम्भीर खतरा स्पष्ट दिख रहा है, लेकिन सरकारी योजनाएं घोषणा से आगे बढ़ती हुई नहीं दिखती है।

गंगा को फरक्का के साथ उन नये बैराजों से भी खतरा है, जो लगातार बन रहे हैं। टिहरी और फरक्का के बीच दर्जनों बैराज अस्तित्व में आ चुके हैं। दिक्कत यह है कि हमारे देश में रिवर इंजीनियरिंग का अलग से कोई ठोस रूप विकसित नहीं हो सका है। जो नदियां हैं और उन पर जो निर्माण हैं, उनका

इमानदारी से असेसमेंट नहीं होता। फरक्का की लागत, प्रभाव और फायदे के लिहाज से बैराज बनाने का जो मकसद था, वह पूरा हुआ या नहीं, इसकी भरोसेमंद और स्वतंत्र समीक्षा आवश्यक है। गंगा हमसे दूर होती जा रही है, गंगा में पहलेवाली धारा नहीं रही, क्षरण के कारण गंगा एक छोटी नदी या नाले में बदलती जा रही है। गंगा की धारा सूखती जा रही है, जिस दिन गंगा सूखेगी उस दिन भारत की संस्कृति सूख जायेगी, जन–जन का प्राण सूख जाएगा। गंगा की धारा बचाकर रखना बहुत जरूरी है। गंगा को मुक्त रखने के लिए कई स्तरों पर कार्य करना होगा, लेकिन सबसे जरूरी है कि गंगा के अविरल प्रवाह को सुनिश्चित किया जाए। इसके बिना सारे उपाय निरर्थक साबित होंगे।

" हिमालय से लेकर बंगाल के गंगा सागर तक गंगा की लम्बाई 2,525 किलोमीटर है । गंगा तट पर उत्तर भारत के पांच राज्य बसते हैं और करीब 100 शहरों की लगभग 40 करोड़ की आबादी इस नदी के इर्द गिर्द हैं और करीब 80 संसदीय क्षेत्र भी गंगा से भौगोलिक रूप से जुड़े हुए हैं। देश की किसी नदी के किनारे इतनी बड़ी आबादी निवास नहीं करती, तब भी गंगा का उद्धार नहीं हो पा रहा है। संस्थाओं द्वारा सफाई के नाम पर कमाई का रवैया ने उसे गंदा ही किया है। ऐसे में गंगा की दुर्लभ विरासत भी कहीं हमसे छूट न जाए, इसलिये भारतीय अस्मिता व विरासत के इन निशानों को संजोना ही होगा। यह भी समझना होगा कि बिहार को गंगाजल का एक बून्द पानी नही मिलता है, इसको लेकर गम्भीर प्रयास आवश्यक है। समाज के आगे आए बगैर यह कार्य संभव होता नहीं दिखता है।

"इनसे मिलिये कार्यक्रम"

अतिथिः श्री पवन, चर्चित कार्टूनिस्ट

इनसे मिलिए कार्यक्रम के तहत 23 मई, 2022 को चर्चित कार्टूनिस्ट श्री पवन ने प्राधिकरण परिवार के सदस्यों को संबोधित किया। इसके पूर्व श्री पवन का स्वागत प्राधिकरण के माननीय उपाध्यक्ष डा उदय कांत मिश्र और माननीय सदस्य श्री पी एन राय ने प्लांट बुके देकर किया। अपने संबोधन में श्री पवन ने कार्टून के माध्यम से पत्रकारिता की अहमियत की जानकारी दी और बताया कि इससे जहां सूचना के साथ लोगों को खुशी मिलती है वहीं जिसके बारे में कार्टून बनता है वह दुखी होता है। कभी समाचार पत्रों में कार्टून का मतलब ही बौद्धिक वर्गों की सूचना होती थी। यह धारणा अब बदल चुकी है। कार्टून अब गैर साक्षर लोगों की भी समझ में आती है। यह प्रयोग मेरे लिए आसान नहीं था, पर मैंने मिहनत से इसे स्थापित किया। वर्ग सात में पढ़ाई के दौरान ही आमलोग के लिए कार्टून बनाने की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि कार्टून किसी को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि आम जनता की खुशी के लिए बनाया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री स्व. जवाहरलाल नेहरू का कार्टून बनाने वाले चर्चित कार्टूनिस्ट सुधीर तैलंग की रोचक कहानी बताते हुए पवन कहा कि एक सार्वजनिक कार्यक्रम में नेहरू जी ने तैलंग से कहा कि कार्टून बनाने में मुझे कभी माफ नहीं करना, जबकि तैलंग नेहरू जी के विरूद्ध लगातार कार्टून बनाते थे। श्री पवन ने कहा कि अब वैसी बातें नहीं हैं, अब तो विरोध की पत्रकारिता करना असंभव होता जा रहा है।

31 वर्षों से कार्टून के माध्यम से पत्रकारिता करने वाले पवन ने कहा कि यदि किसी राज्य के बारे में उस राज्य की हकीकत जानना चाहते हैं तो उस राज्य में पिछले 25 वर्षों के अखबारों में छपे कार्टून को देखकर कर अप उस राज्य की वास्तविक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कार्टून में किसी राज्य के मुख्यमंत्री ही कार्टून का मुख्य किरदार होते हैं। इसलिए कार्टून इसी किरदार के आसपास बनता है। कार्टून बनाने की अपनी यात्रा के बारे में बताया कि वे डा. जगन्नाथ मिश्र से लेकर अब तक के सभी सीएम को कार्टून के किरदार के रूप में शामिल किया। इस माध्यम से जन समस्यायों को लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। एक रोचक जानकारी में उन्होंने कहा कि तब राजधानी पटना में जल जमाव के दौरान राज्य सरकार के एक बड़े अधिकारी का कार्टून अखबार में खुब छपता था। उस अधिकारी की बेटी विदेश में नौकरी करती थी। उसने अपने पिता जी को कार्टून में देखकर अपने पिता को पत्र के माध्यम से कहा कि आप बिहार में जल जमाव दूर करने के लिए नाले में फट्ठा लगाते हो क्या? क्या यही काम आप बिहार में जाकर कर रहे हैं? अपनी बेटी की प्रतिक्रिया से आहत उक्त अधिकारी ने अखबार के दफ्तर में आकर कहा आप हमको अपने कार्टून में क्या बना देते हैं? यह एक कार्टूनिस्ट की सफलता ही तो है। श्री पवन ने आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ मिलकर आमलोगों को कार्टून के माध्यम से आपदा प्रबंधन के कार्यक्रम में सहयोग का भरोसा दिया।

"जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा" जागरूकता कार्यक्रम

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा विभिन्न हितभागियों के सहयोग से सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन मई, 2022 में पटना जिले के 04 विद्यालयों में आयोजित हुए जिसमें लगभग 360 छात्रों/शिक्षकों ने भाग लिया। इस प्रकार मई, 2022 तक राज्य के 12 जिलों के 54 विद्यालयों/महाविद्यालयों में आयोजित कार्यक्रम में कुल 5210 छात्रों/शिक्षकों ने भाग लिया। मई, 2022 में निम्नलिखित विद्यालयों में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गयाः–

क्र0 सं0	दिनांक	विद्यालय का नाम
01	13.05.2022	बिहटा पब्लिक स्कूल, किशुनपुर, बिहटा।
		सरस्वती रेजिडेंशियल स्कूल, प्रकाश नगर श्री चन्द्रपुर, बिहटा रोड, पटना।
02	18.05.2022	विवेकानन्द इंटरनेशनल स्कूल, शेखपुरा, पटना।
		ईशान इंटरनेशनल स्कूल, मलाही पकड़ी, कंकड़बाग, पटना।

सड़क सुरक्षा विषय पर एसओपी के लिए प्रारूपण समिति की बैठक

दिनांक 19.05.2022 प्राधिकरण के सभा कक्ष में सड़क सुरक्षा विषय पर मानक संचालन (SOP) प्रक्रिया तैयार करने के लिए अध्यक्ष, सड़क सुरक्षा समिति श्री नरेन्द्र कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में SOP के विभिन्न अध्यायों का निर्धारण किया गया। अलग–अलग अध्यायों पर प्रारूप तैयार कर समिति के सदस्यों को भेजने का निर्णय लिया गया।

मानक संचालक प्रक्रिया (SOP) के प्रारूप को तैयार किए जाने हेतु निम्नलिखित समिति का गठन किया गया :

1. श्री नरेन्द्र कुमार, विंग कमांडर, अध्यक्ष, सड़क सुरक्षा समिति – अध्यक्ष

2. डॉ0 विनोद भांटी, अध्यक्ष, आपदा एवं दिव्यांगता समिति, रेड क्रॉस सोसाइटी, बिहार शाखा, पटना।
3. डॉ0 डी0के0 गुप्ता, अपर निदेशक, स्वास्थ्य विभाग, पटना
4. श्री धनंजय कुमार बम्पट, अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग
5. श्री के.के. झा, 2IC एस.डी.आर.एफ., बिहटा, पटना
6. श्री विनय कुमार, उप समादेष्ठा, एन.डी.आर.एफ., बिहटा, पटना
7. पुलिस अधीक्षक (यातायात), पटना के प्रतिनिधि
8. श्री राजीव कुमार, रोड सेफ्टी वाहन अभियंता, परिवहन विभाग, पटना
9. श्री निशांत राज, उप प्रबंधक, नेशनल इन्श्योरेंस को0लि0, पटना
10. श्री अनिरूद्ध प्रसाद, वरीय जिला समादेष्ठा, पटना
11. श्री धीरज कुमार, राज्य समन्वयक, एन.सी.सी.उड़ान, बिहार एवं झारखण्ड
12. श्री संतोष कुमार, सचिव, संकल्प ज्योति, पटना
13. डॉ. जीवन कुमार, परियोजना पदाधिकारी, बि0 रा0 आ0 प्र0 प्रा0 – संयोजक

निम्नलिखित सदस्यों के द्वारा विभिन्न अध्यायों के लिए सामग्री भेजी जा चुकी है :–

1. सड़क दुर्घटना के पश्चात स्वास्थ्य विभाग की भूमिका : डॉ0 डी.के. गुप्ता, अपर निदेशक, स्वास्थ्य विभाग, पटना
2. दुर्घटना के पश्चात अग्निशमन सेवाएं की भूमिका : श्री राजीव रंजन, सहायक राज्य अग्निशमन पदाधिकारी, बिहार, पटना
3. दुर्घटना के पश्चात एन.सी.सी. की भूमिका : श्री धीरज कुमार, समन्वयक, एन.सी.सी. (कम्यूनिटी ट्रैफिक पुलिस)

"सुरक्षित तैराकी" कार्यक्रमः मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण

प्राधिकरण द्वारा डूबने से होने वाली मौतों की रोकथाम के लिए 'सुरक्षित तैराकी'' कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न जिलों के चिह्नित अंचलों के गांवों में चयनित युवक/युवतियों को निर्धारित अर्हताओं के अनुसार मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण दिया जाता है। यह कार्यक्रम मई, 2019 में प्रारंभ किया गया था। प्रशिक्षण में सुरक्षित तैराकी कार्यक्रम की पृष्ठभूमि, महत्व एवं उद्देश्य, विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण की प्रक्रिया, तैराकी प्रशिक्षण, डूबने से बचाने हेतु सहायता एवं बचाव के तरीके, प्राथमिक उपचार, समुदाय स्तर पर बालक–बालिकाओं के प्रशिक्षण की प्रक्रिया, बंशी–जाल एवं झग्गड़/काँटा से डूबे हुए व्यक्ति/सामग्रियों की तलाश, कोविड–19 से बचाव के उपाय, सेफ एवं अनसेफ टच आदि विषयों पर सैद्धांतिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

10वें बैच में दिनांक 23.05.2022 से 31.05.2022 तक कटिहार जिले के कोढ़ा, फलका एवं मनसाही प्रखण्डों के कुल 17 प्रशिक्षुओं एवं सारण जिले के सोनपुर प्रखण्ड के कुल 07 प्रशिक्षुओं को सफलता पूर्वक 09 दिवसीय मॉड्यूल के अनुसार मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण दिया गया।
मई, 2022 का प्रशिक्षण विवरण निम्नांकित हैं :–

बैच सं0	तिथि	जिला	प्रखण्ड	स्थान	कुल प्रशिक्षित प्रशिक्षु पुरूष	
1	23.05.2022 से 31.05. 2022	कटिहार एवं सारण	कोढ़ा, फलका एवं मनसाही (कटिहार), सोनपुर (सारण)	NINI	मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षित प्रशिक्षु	24
					कुल	24

इस प्रकार मई, 2022 तक कुल 10 बैचों में पटना, वैशाली, खगड़िया, बेगूसराय, भोजपुर, गया, बांका, गोपालगंज, कटिहार एवं सारण जिलों के कुल 162 + 24 = 186 युवकों एवं 9 + 15 = 24 युवतियों को मास्टर ट्रेनर तथा कुल 25 युवतियों एवं 06 +1 = 07 युवकों को तैराकी का प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

"सुरक्षित तैराकी" कार्यक्रमः तैराकी एवं जीवन रक्षा कौशल का प्रशिक्षण

राज्य में डूबने से होने वाली मौतों की रोकथाम के लिए सुरक्षित तैराकी कार्यक्रम के अंतर्गत पटना जिले के दानापुर प्रखण्ड (बालदेव इंटर विद्यालय), वैशाली जिले के महनार प्रखण्ड, बेगूसराय जिले के मटिहानी एवं बरौनी प्रखण्ड तथा खगड़िया जिले के गोगरी प्रखण्ड में जिला प्रशासन द्वारा चिह्नित प्रशिक्षण स्थलों पर 06 से 18 आयु वर्ग के छात्र/छात्राओं (बालक/बालिकाओं) को प्रशिक्षण दिया गया। मई, 2022 में आयोजित प्रशिक्षण का क्रियान्वयन संबंधित जिला प्रशासन द्वारा NINI, पटना में प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर के सहयोग से सम्पन्न हुआ।

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पटना, वैशाली, बेगूसराय एवं खगड़िया द्वारा इस कार्यक्रम के अंतर्गत छात्र/छात्राओं, बालक/बालिकाओं का 12 दिवसीय तैराकी एवं जीवन रक्षा कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया गय। यह प्रशिक्षण जिलों के चिह्नित प्रखंडों के चयनित घाटों पर बनाए गए अस्थायी तरणताल में संपन्न हुआ। वर्ष 2020–2021 में 237 छात्र/छात्राओं एवं अप्रैल, 2022 में पटना एवं वैशाली में 110 छात्र/छात्राओं ने तैराकी एवं जीवन रक्षा कौशल विकास का प्रशिक्षण प्राप्त किया।

मई, 2022 में समुदाय स्तर सम्पन्न हुए प्रशिक्षण का विवरण निम्नलिखित है :–

क्र0सं0	जिला का नाम	प्रखण्ड	प्रशिक्षण की तिथि (मई 2022)	बैचों की संख्या	सफलता पूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले बालकों/ बालिकाओं एवं छात्र/छात्राओं की संख्या
1	पटना	दानापुर (बालदेव इंटर विद्यालय के सहयोग से)	**1.** 25 अप्रैल से 09 मई 2022 (छात्र–30) **2.** 12–23 मई 2022 (छात्र–24)	02 (छात्र)	54
			3. 25 अप्रैल से 09 मई 2022 (छात्रा –31) **4.** 12–23 मई 2022	02 (छात्रा)	61

			तक (छात्रा –30)		
2	वैशाली	महनार एवं हसनपुर	10 –22 मई 2022 (बालक–30+26)	02(बालक)	56
3.	बेगूसराय	मटिहानी एवं बरौनी	1. 17–28 मई 2022 सुबह – 20 बालक शाम – 20 बालक 2. 07–18 मई 2022 30 बालकों	03(बालक)	70
4	खगड़िया	गोगरी	1. 08–19 मई 2022 सुबह – 20 बालक शाम – 20 बालक 2. 19–31 मई 2022 सुबह – 30 बालक शाम – 30 बालक	04 (बालक)	100
			कुल		**341**

इस प्रकार मई, 2022 तक पटना, वैशाली, खगड़िया एवं बेगूसराय जिलों के कुल 237 + 110 + 341=688 छात्र/छात्राओं को तैराकी का प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

डूबने से होने वाली मृत्यु की रोकथाम के लिए जागरूकता सप्ताह का आयोजन

प्राधिकरण द्वारा डूबने से होने वाली मृत्यु की रोकथाम हेतु जन जागरूकता सप्ताह (23 से 29 मई, 2022) के दौरान दिनांक 23 एवं 24 मई, 2022 को SDRF के सहयोग से पटना, गोपालगंज, सीतामढ़ी, भोजपुर, गया एवं जमुई जिलों के NCC cadets का **"डूबने के कारणों, बचाव के उपायों एवं प्राथमिक उपचार"** विषय पर संवेदीकरण किया गया। यह कार्यक्रम राजेंद्र नगर, पटना में आयोजित NCC कैम्प में किया गया। इस कार्यक्रम में लगभग 300 cadets ने भाग लिया।

- जिला प्रशासन, पटना एवं SDRF के सहयोग से दिनांक 27.05.2022 को डूबने से होने वाली मृत्यु की रोकथाम हेतु जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन अति दुर्घटना प्रवण NIT घाट, गांधी घाट, भद्र घाट, गाय घाट, पहलवान घाट, महावीर घाट आदि का अवलोकन

किया गया। इस दौरान घाटों पर स्नान करने वाले लोगों एवं दुकानदारों के बीच प्रचार प्रसार सामग्रियों का वितरण किया गया।

- प्राधिकरण द्वारा बामेती, पटना में आयोजित जिला संसाधन केंद्र के प्रतिनिधियों को "आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन" विषय पर प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर दिनांक 24 मई को **"डूबने के कारणों, बचाव के उपायों"** के विषय पर संवेदीकरण किया गया।
- SDRF के सहयोग से डूबने से होने वाले मृत्यु की रोकथाम हेतु जन–जागरूकता सप्ताह के दौरान मधेपुरा, खगड़िया, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर एवं भागलपुर जिलों में चिह्नित स्थानों पर विभिन्न तिथियों में प्रतिनिधियों एवं समुदाय का संवेदीकरण तथा बचाव के तरीकों का Demonstration किया गया।

सामुदायिक स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण

बिहार राज्य बहु–आपदा प्रवण राज्य है। फलतः हमारे गाँव, पंचायतों, प्रखण्ड एवं जिलों में विभिन्न तरह की आपदाएं आती रहती हैं। पंचायतों में कुछ नौजवान आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन हेतु जरूरी ज्ञान और हुनर सीख लें तो वे अपने गाँव, पंचायत, प्रखंड एवं जिले को आपदाओं से सुरक्षित रख सकते हैं। इसके लिए बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने राज्य के नौजवानों/नवयुवतियों को प्रशिक्षित कर आपदाओ के प्रत्युत्तर हेतु तैयार कर रहा है ताकि आपदाओं से सुरक्षा प्रदान करने में वे अपने समुदाय के लिए मददगार बन सकें प्रशिक्षण के उपरांत वे अपने गाँव, पंचायत, प्रखंड एवं जिला स्तर पर विभिन्न आपदाओं की प्रवणता की जानकारी हासिल कर आपदाओं के जोखिम–न्यूनीकरण एवं प्रबंधन में समुदाय को मदद करेंगे। इसके लिए मई, 2022 में दिनांक 29.04.2022 से 10.05.2022 पूर्वी चम्पारण जिला के कुल 44 स्वयंसेवकों को 12 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। मई, 2022 तक पुर्णिया, मुजफ्फरपुर, प0 चम्पारण एवं पूर्वी चम्पारण जिले के कुल 428 स्वयंसेवकों को अब तक प्रशिक्षित किया जा चुका है।

वज्रपातः कार्ययोजना तैयार करने के लिए बैठक

वज्रपात की घटना होने पर ग्रामीण क्षेत्रों मं की व्यापक व्यापक स्तर पर मृत्यु होती है। इसमें लोगों की ही नहीं बल्कि पशुओं की भी मौत हो जाती है। ऐसी घटना में जो जीवित बच जाते हैं वो अपंग भी हो जाते हैं, जैसे– आँखों की रौशनी का खत्म होना, सुनने की क्षमता समाप्त या कम हो जाना आदि। 26 अप्रैल, 2022 को औरंगाबाद में जिला प्रशासन के साथ हुई उच्चस्तरीय बैठक में वज्रपात से सुरक्षा के लिए औरंगाबाद में जनजागरूकता कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया गया।

अतः वज्रपात/ठनका से बचाव एवं रोकथाम संबंधी अति प्रभावित तीन जिलों (पटना, गया, औरंगाबाद) के साथ इन घटनाओं की रोकथाम के लिए 01 मई, 2022 से कार्ययोजना के क्रियान्वयन की शुरुआत की गयी।

इस कार्ययोजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में वज्रपात से बचाव एवं रोकथाम हेतु विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है जिसमें समुदाय स्तर पर आई.ई.सी. (लिफलेट/पम्पलेट) का वितरण एवं नुक्कड़ नाटकों का मंचन किया जा रहा है। औरंगाबाद जिले के सभी पंचायतों में वज्रपात सुरक्षा रथ द्वारा लोगों को बचाव संबंधी उपायों की जानकारी दी जा रही है।

पंचायत संसाधन केन्द्र के पदाधिकारियों का मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण

पंचायत संसाधन केन्द्र (DPRC) के पदाधिकारियों का "आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन" विषय पर दो दिवसीय मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन दो बैचों में दिनांक 24–25 मई एवं 26–27 मई, 2022 को संपन्न हुआ। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल 54 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया। इस प्रशिक्षण में प्रखण्ड परियोजना प्रबंधक एवं ब्लॉक फैसिलिटेटर ने भाग लिया गया। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य है कि मास्टर ट्रेनर के माध्यम से प्रखण्डस्तरीय प्रशिक्षण में सभी जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षित एवं जागरूक किया जाना ताकि किसी भी आपदा के समय वे अपने

पंचायत को सुरक्षित रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। इस प्रकार मई, 2022 तक अयोजित नौ बैचों के प्रशिक्षण में कुल 225 मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षित हो चुके हैं। मई, 2022 में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम का ब्योरा इस प्रकार है:–

क्र0सं0	दिनांक	प्रतिभागी जिला	प्रतिभागियों की संख्या
8	24–25 मई 2022	सहरसा, रोहतास, मुंगेर, किशनगंज, पटना, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सिवान, कटिहार, शिवहर, सुपौल, खगड़िया, समस्तीपुर, शेखपुरा, गया, बांका, पूर्णिया, सीतामढ़ी, सारण एवं दरभंगा	28
9	26–27 मई 2022	सिवान, सारण, भागलपुर, दरभंगा, नवादा, सीतामढ़ी, बक्सर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, गया, नालंदा, पूर्वी चम्पारण, पटना, मधुबनी, प0 चम्पारण, शिवहर एवं शेखपुरा	26
		कुल	**54**

बांका के डीडीएमपी पर विमर्श के लिए पदाधिकारियों की बैठक

दिनांक 12.05.2022 को प्राधिकरण के माननीय उपाध्यक्ष डा उदय कांत मिश्र की अध्यक्षता में बांका जिले की आपदा प्रबंधन योजना का review किया गया।

प्राधिकरण सभागार में आयोजित इस बैठक में बांका जिला से संबंधित विभागों के पदाधिकारियों की भागीदारी हुई। बैठक में प्राधिकरण के माननीय सदस्य, श्री पी0एन0 राय मौजूद थे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि जिला आपदा प्रबंधन योजना का संशोधन जिले में मौजूदा खतरों, समुदाय की नाजुकता के मद्देनजर किया जाना चाहिए और गतिविधि योजना के अनुसार होनी चाहिए। बैठक में पदाधिकारियों द्वारा बांका जिले की आपदा प्रबंधन योजना को अद्यतन करने पर सहमति प्रदान की गई।

अभियंताओं और राजमिस्त्रियों का प्रशिक्षण

मई, 2022 तक राज्य के सभी (38) जिलों के साथ–साथ भूकम्पीय जोन V के 8 के जिलों (किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, मधुबनी एवं सीतामढ़ी) में भूकम्परोधी भवन निर्माण तकनीक पर अनुभवी राजमिस्त्रियों के सात दिवसीय प्रशिक्षण का दूसरे बैच का प्रशिक्षण सम्पन्न किया गया। इस प्रकार मई, 2022 तक कुल 19,784 अनुभवी राजमिस्त्रियों एवं 38 जिलों में कुल 2676 असैनिक अभियंताओं को भवनों के भूकम्परोधी निर्माण एवं रेट्रोफिटिंग तकनीक के लिए प्रशिक्षित किया जा चुका है।

1. दिनांक 13 मई, 2022 को विवेकानंद इटरनेशनल स्कूल में भूकम्प एवं अग्नि सुरक्षा से संबंधित मॉकड्रिल का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान बच्चों के बीच पेंटिंग प्रतियोगिता भी कराया गया।
2. **दिनांक 19 मई, 2022** को जिला पदाधिकारी बांका की अध्यक्षता में राजमिस्त्रियों के सात दिवसीय प्रशिक्षण की तैयारी के लिए अंचलाधिकारियों के साथ ऑनलाइन ब्रिफिंग किया गया।

3. दिनांक 22 मई, 2022 को जलालपुर सिटी में भूकम्प एवं अग्नि सुरक्षा से संबंधित मॉकड्रिल का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बच्चों की पेंटिंग प्रतियोगिता में भागीदारी हुई।

4. दिनांक 23 मई, 2022 को राजमिस्त्रियों के अगामी प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षकों/भावी प्रशिक्षकों के कुल 22 अभियंताओं/राजमिस्त्रियों का एक दिवसीय रिफ्रेशर कोर्स प्राधिकरण के सभा कक्ष में संपन्न हुआ।

राजमिस्त्रियों का सात दिवसीय प्रशिक्षणः

दिनांक 25 से 31 मई, 2022 तक, बांका जिला के सभी 11 प्रखंडों में दूसरे बैच में कुल 312 राजमिस्त्रियों को भूकम्परोधी भवन के लिए सात दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया।

(i) राजमिस्त्री प्रशिक्षण के अन्तिम दिन (31 मई 2022) प्रत्येक प्रखंड में लगभग 30 गृहस्वामियों, निर्माण सामग्री के व्यवसायी एवं अन्य प्रभावशाली लोगों का प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम किया गया।

(ii) राजमिस्त्री प्रशिक्षण के अंतिम दिन उन्हें मेसन टूल किट एवं सेफ्टी हेलमेट प्रदान किया गया।

(iii) श्रम संसाधन विभाग के द्वारा प्रखंड में जाकर राजमिस्त्रियों का श्रम निबन्धन कराया गया।

1. भवनों का R.V.S. (Rapid Visual Screening) कराने के संबंध में आई.आई.टी., पटना, के साथ MOU किया गया है। Pilot study के तहत निम्न पांच भवनों को चिह्नित किया गया।

i. डा0 भीमराव अम्बेदकर कल्याण छात्रावास, मगध महिला महाविद्यालय, पटना,

ii. डा0 भीमराव अम्बेदकर कल्याण छात्रावास, महेन्द्रू, पटना,

iii. आयुक्त कार्यालय भवन, मुजफ्फरपुर,

iv. समाहरणालय भवन, पूर्वी चम्पारण

v. समाहरणालय भवन, दरभंगा का प्राधिकरण स्तर पर चयन कर IIT को सूचित किया गया। IIT द्वारा इन स्थलों पर जाकर निरीक्षण कार्य एवं नमूना संग्रह का कार्य किया गया। मगध महिला महाविद्यालय के प्राचार्य एवं संबंधित जिला के अपर समाहर्ता तथा आयुक्त के सचिव के साथ आवश्यक समन्वय कर IIT पटना को आवश्यक सहयोग प्रदान किया गया। IIT द्वारा इन पाँच भवनों का RVS कर अन्तरिम प्रतिवेदन समर्पित किया गया है तथा अग्रेतर कार्य किया जा रहा है।

2. Shake Table का निर्माण कार्य प्रगति पर है। NIT रायपुर के प्रो० गोवर्द्धन भट्ट से लगातार सम्पर्क एवं समन्वय किया गया है। उनके द्वारा माह जून तक इसे पूरा कर लेने का आश्वासन दिया गया है।

3. राजकीय पॉलिटेक्निक, दरभंगा में निर्माणाधीन भूकम्प सुरक्षा क्लीनिक सह परामर्श केन्द्र के निर्माण से सम्बन्धित कार्य का अनुश्रवण किया गया। प्रभारी प्राध्यापक के अनुरोध पर प्राधिकरण स्तर से मो. अरबाज आलम को 17 से 20 मई 2022 तक के लिए भेजा गया था।

4. बिहार भूकम्प दूरमापी तंत्र से सम्बन्धित नवनिर्मित केन्द्रीय संग्रहण स्टेशन भवन के निर्माण कार्य के हस्तांतरण हेतु आवश्यक कारवाई की गई तथा भवन का हस्तांतरण पटना विश्वविद्यालय को किया गया।

5. बिहार भूकम्प आपदा प्रबंधन मार्गदर्शिका से गठन के संबंध में ड्राफ्टिंग कमिटी के सदस्यों एवं अन्य विशेषज्ञों के साथ समन्वय का कार्य किए जा रहे हैं। विशेषज्ञों से प्राप्त मंतव्य को ड्राफ्टिंग कमिटी के सदस्य द्वय प्रो. अतुल आदित्य पाण्डेय एवं प्रो. वैभव सिंघल को अग्रेतर कार्यवाई हेतु माह मई में भेज दिया गया है।

6.

अभियंताओं/राजमिस्त्रियों का प्रशिक्षण/रिफ्रेशर कोर्स			
क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	प्रशिक्षण तिथि/स्थान	प्रशिक्षित प्रतिभागी की संख्या
1	राजमिस्त्रियों का सात दिवसीय प्रशिक्षण	25 से 31 मई 2022	314 राजमिस्त्री
2	रिफ्रेशर कोर्स	23 मई 2022 को BSDMA, पटना में।	22 प्रशिक्षकगण

बांका जिला में दूसरे बैच में राजमिस्त्रियों का सात दिवसीय प्रशिक्षण दिनांक 25 से 31 मई 2022			
क्र. सं.	ब्लॉक का नाम		प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों की संख्या
1	शम्भूगंज		28
2	अमरपुर		27
3	रजौन		27
4	धोरैया		29
5	बाराहाट		30
6	चान्दन		28
7	बांका		29
8	कटोरिया		30
9	बौंसी		30
10	फुल्लीडूमर		25
11	बेलहर		29
कुल			312

बाढ़ सुरक्षा सप्ताह की तैयारी के लिए बैठक

दिनांक 24 मई, 2022 को बाढ़ सुरक्षा सप्ताह (01 से 07 जून) की तैयारी के लिए प्राधिकरण सभागार में बैठक हुई। बैठक में विभिन्न विभागों एवं संस्थाओं द्वारा आयोजित गतिविधियों पर विचार विमर्श किया गया।

बाढ़ सुरक्षा सप्ताह की तौयारी बैठक में शामिल प्रतिभागी

अस्पताल अग्नि सुरक्षा कार्यक्रम

'अस्पताल अग्नि सुरक्षा कार्यक्रम' के तहत '16 बिंदु अग्नि प्रवणता सूचकांक' के आधार पर मई, 2022 में राज्य के कुल 283 अस्पतालों का निरीक्षण किया गया जिसमें 56 सरकारी एवं 227 निजी अस्पताल शामिल हैं। इन अस्पतालों का निरीक्षण प्राधिकरण के दिशा निर्देश में अग्निशाम सेवाएं के अधिकारियों द्वारा किया गया। इस प्रकार मई, 2022 तक राज्य के कुल 4,775 अस्पतालों का अग्नि प्रवणता सूचकांक के आधार पर निरीक्षण किया जा चुका है।

विवरण निम्नवत हैं:–

माह मई 2022 में अस्पतालों/नर्सिंग होमस् के भवनों में फायर ऑडिट का ऑकड़ा।

क्र0स0	जिला का नाम	कोविड अस्पताल			नन कोविड अस्पताल		
		सरकारी	निजी अस्पताल	कुल	सरकारी	निजी अस्पताल	कुल
1	पटना	0	0	0	2	28	30
2	नालंदा	0	0	0	3	8	11
3	रोहतास	0	1	1	0	8	8
4	भभुआ	अप्राप्त है	अप्राप्त है	0	अप्राप्त है	अप्राप्त है	
5	भोजपुर	0	0	0	1	2	3
6	बक्सर	0	0	0	0	0	0
7	गया	0	0	0	0	0	0
8	जहानाबाद	2	0	2	1	3	4
9	अरवल	0	0	0	0	1	1
10	नवादा	0	0	0	0	2	2
11	औरंगाबाद	0	0	0	0	2	0
12	छपरा	0	0	0	9	15	24
13	सिवान	0	0	0	1	1	2
14	गोपालगंज	0	0	0	0	0	0
15	मुजफ्फरपुर	0	0	0	2	3	5
16	सीतामढ़ी	0	0	0	3	14	17
17	शिवहर	0	0	0	0	1	1
18	बेतिया	0	0	0	0	1	1
19	बगहा	0	0	0	1	1	2
20	मोतिहारी	0	0	0	2	20	22
21	वैशाली	0	0	0	1	36	37
22	दरभंगा	0	0	0	0	6	6
23	मधुबनी	0	0	0	0	10	10
24	समस्तीपुर	0	0	0	1	4	5
25	सहरसा	0	0	0	0	1	1
26	सुपौल	0	0	0	1	2	3
27	मधेपुरा	अप्राप्त है	अप्राप्त है	0	अप्राप्त है	अप्राप्त है	
28	पूर्णिया	1	1	2	8	4	12
29	अररिया	0	0	0	4	7	11
30	किशनगंज	0	0	0	0	5	5
31	कटिहार	अप्राप्त है	अप्राप्त है	0	अप्राप्त है	अप्राप्त है	
32	भागलपुर	2	3	5	0	8	8
33	नवगछिया	0	0	0	0	0	0
34	बाँका	0	0	0	2	3	5
35	मुंगेर	अप्राप्त है	अप्राप्त है		अप्राप्त है	अप्राप्त है	
36	लखीसराय	0	0	0	0	2	2
37	शेखपुरा	0	0	0	0	0	0
38	जमुई	0	0	0	0	2	2
39	खगड़िया	0	0	0	1	9	10
40	बेगुसराय	1	3	4	7	10	17
कुल योग		6	8	14	50	219	269

खबरें तस्वीरों में

अग्निसुरक्षा कार्यक्रम

जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम में शामिल हुए स्कूली छात्र

जलालपुर सिटी में भूकंप, अग्नि सुरक्षा मॉकड्रिल

आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन का प्रशिक्षण लेते पंचायती राज विभाग के अधिकारी

डूबने से होने वाली मृत्यु की रोकथाम के लिए जागरूकता कार्यक्रम में शामिल लोग

पंचायत राज पदाधिकारियों की दो दिवसीय मास्टर प्रशिक्षण कार्यक्रम

डूबने से होन वाली मृत्यु की रोकथाम के लिए जागरूकता कार्यक्रम में प्रतिभागी

डूबने से होने वाली मृत्यु की रोकथाम के लिए जागरूकता कार्यक्रम में प्रतिभागी

डूबने से होने वाली मृत्यु की रोकथाम के लिए जागरूकता कार्यक्रम में प्रतिभागी

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

(बिहार सरकार)

बिहार सरकार